रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062021-227395
CG-DL-E-07062021-227395

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2021/ज्येष्ठ 17, 1943
No. 161] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2021/JYAISHTHA 17, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2021

(मामला सं. एसएसआर-एडी – 03/2021)

विषय: इंडोनेशिया और वियतनाम से "6 मिमि. या उससे अधिक मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा.सं. 7/2/2021-डीजीटीआर.—

1. ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और रूसिल डेकोर लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष इंडोनेशिया और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "6 मिमि. या उससे

अधिक मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत के लिए एक आवेदन पत्र दायर किया है ।

2. आवेदकों ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना का आरोप लगाया है और समीक्षा करने तथा संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है ।

क. पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी ने इंडोनेशिया और वियतनाम से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच दिनांक 7 मई, 2015 की अधिसूचना सं. 14/23/2014- डीजीएडी के द्वारा की थी । प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5 मई, 2016 की अधिसूचना सं. 14/23/2014-डीजीएडी के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें पाटनरोशी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी । अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर दिनांक 14 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. 34/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से शुल्क लगाया गया था ।

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद "6 मिमि. या उससे अधिक मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड" है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच के अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

" 4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड है जिसकी मोटाई "6 एमएम और उससे अधिक है । एमडीएफ को प्लेन एमडीएफ बोर्ड या कस्टम वुड या बाजार की भाषा में क्राफ्ट वुड भी कहा जाता है । प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड या प्लेन एमडीएफ बोर्ड एक कंपोजिट लकड़ी का उत्पाद है जिसे लकड़ी के अपशिष्ट रेशों को ताप या दबाव के अधीन यूरिया फार्मेल्टीहाइड रेजिन या मेलामाइन रेजिन के साथ जोड़कर बनाया जाता है । इसका प्रयोग इसकी सुचारू और एक समान फिनिश के कारण पार्टीशन, मॉड्यूलन फर्नीचर, केबिनेट आदि में व्यापक रूप से किया जाता है । यह उत्पाद दो किस्मों अर्थात प्लेन और लेमिनेटिड में उत्पादित होता है । एमडीएफ बोर्ड को लेमिनेटिड एमडीएफ बोर्ड बनाने के लिए आगे प्रसंस्कृत जैसे पेंट विनियर द्वारा लेमिनेटिड आदि किया जाता है । वर्तमान याचिका के उत्पाद दायरे में लेमिनेटिड एमडीएफ बोर्ड शामिल नहीं है ।

5. प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड को सामान्यत: मानक आकारों में उत्पादित किया और बेचा जाता है और प्रयोक्ता की आकार डिजाइन जरूरतों के अनुसार काटकर प्रयोग किया जाता है । इसे उत्पादित की और बेची जाने वाली मानक मोटाई 1.2 एमएम तथा मानक आकार 8X4 है । इसकी मोटाई को उपभोक्ता की जरूरत के अनुकूल बदला जा सकता है । विचाराधीन उत्पाद केवल 6 मिमि. से अधिक मोटाई का है । औद्योगिक भाषा में बोर्डों को "मोटे" और "पतले" रूप में विभाजित किया जाता है । विचाराधीन उत्पाद मोटे एमडीएफ के रूप में वर्णित है ।

5. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद पूर्व में की गई जांच में यथापरिभाषित के समान है । विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 44 के शीर्ष 4411 के तहत वर्गीकृत है । यह विचाराधीन उत्पाद आईटीसी एचएस कोर्ड 44111300 और 44111400 के 8 अंकीय स्तर पर शामिल है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

ग. समान वस्तु

6. आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है । पाटित आयात और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशन, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम

प्रयोगों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अधीन इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए । अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

घ. <u>घरेलू उद्योग</u>

7. यह आवेदन मै. मै. ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/मै. ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रूसिल डेकोर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । आवेदक ने दावा किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं । रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए आवेदक भारतीय भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है । अत: प्राधिकारी नियमावली के नियम 2(ख) तथा 5(3) के अर्थ के भीतर आवेदकों को घरेलू उद्योग मानते हैं ।

ड. <u>पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना</u>

<u>सामान्य मूल्य</u>

8. आवेदकों ने वियतनाम और इंडोनेशिया में बाजार अनुसंधान रिपोर्ट में सूचित कीमतों के आधार पर इन देशों में प्रचलित कीमतों के अनुसार सामान्य मूल्य का दावा किया है ।

<u>निर्यात कीमत</u>

9. संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों पर आधारित हैं । वियतनाम के मामले में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन अंतरदेशीय माल भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं । इंडोनेशिया के संबंध में पीओआई में उत्पाद के कोई आयात नहीं हैं ।

<u>पाटन मार्जिन</u>

10. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 9 क (1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है । यह नोट किया गया है कि वियतनाम का पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है । यह देखा गया है कि यद्यपि वियतनाम से निर्यातित उत्पाद पीओआई के दौरान सामान्य मूल्य से कम कीमत पर हुआ है जिसके परिणामस्वरूप पाटन जारी रहा है । इंडोनेशिया के मामले में कोई वर्तमान आयात नहीं है ।

च. <u>क्षति या कारणात्मक संबंध के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना</u>

11. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वियतनाम से पाटित आयातों के कारण संगत अवधि के दौरान क्षमता उपयोग, कीमत ह्रास और न्यूनीकरण, कीमत कटौती, कर पूर्व लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय की दृष्टि से उसके कार्य निष्पादन में गिरावट आई है । आवेदक ने इंडोनेशिया से शेष विश्व को अतिरिक्त क्षमताओं, मालसूचियों, निर्यातोन्मुख होने, क्षमता विस्तार और पाटित और क्षतिकारी निर्यातों की मात्रा के संबंध में भी सूचना दी है । शुल्क की समाप्ति की स्थिति में वियतनाम से पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने की संभावना प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं जो वर्तमान समीक्षा जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं ।

च. <u>निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत</u>

12. अत: विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृति हाने की संभावना को सिद्ध करते हुए घरेलू द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा

पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

छ. संबद्ध देश

13. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में संबद्ध देश इंडोनेशिया हैं।

ज. जांच की अवधि

14. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 जुलाई, 2029 - 31 दिसंबर, 2020 (18 महीने) की है। 18 महीने की जांच अवधि अपनाने का कारण यह है कि यह बिल्कुल हाल की (अर्थात 6 महीने से कम पुरानी) है और इसमें कोविड-19 महामारी के कारण लागू देशव्यापी लॉक डाउन से पहले की और बाद की अवधि शामिल है। तथापि, क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2016– 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017– 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018- 30 जून, 2019 और जांच की अवधि शामिल होंगी।

झ. प्रक्रिया

15. इस समीक्षा में दिनांक 5 मई, 2016 की अधिसूचना सं. 14/23/2014-डीजीएडी के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, के सभी पहलू शामिल होंगे ।

16. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

17. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in और dd14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

18. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

21. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें।

ट समय-सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in और dd14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय-सीमा के

भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है । इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ।

25. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

26. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

27. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

28. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

29. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

30. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

31. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तर/अनुरोधों को साझा करना

32. डीजीटीआर की वैब साइट पर पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होगी ।

ढ. असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित

कर सके हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2021

(Case No. SSR-AD-03/2021)

Subject: Initiation of sunset review anti-dumping investigation concerning imports of "Plain Medium Density Fibreboard having thickness 6mm and above" from Vietnam.

F.No.7/2/2021-DGTR.—

1. Greenply Industries Limited/Greenpanel Industries Limited and Rushil Decor Limited (hereinafter referred to as the 'applicants') have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Rules"), for initiation of sunset review investigation concerning imports of "Plain Medium Density Fibreboard having thickness 6mm and above" (hereinafter referred to as 'subject goods' or 'product under consideration') originating in or exported from Indonesia and Vietnam.

2. The Applicants have alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating in and exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.

A. **Background**

3. The Authority had initiated the original investigation concerning imports of the subject goods from Indonesia and Vietnam vide Notification No. 14/23/2014- DGAD dated 7th May, 2015. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/23/2014-DGAD dated the 5th May, 2016, recommending imposition of anti-dumping duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, the duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 34/2016-Customs(ADD) dated 14th July, 2016 on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

B. **Product under Consideration**

4. The product under consideration as in the original investigation is "Plain Medium Density Fibre board having thickness of 6mm or more". The Designated Authority defined the product under consideration in the Final Findings of the previous investigation as follows:

"4. The product under consideration in the present investigation is "Plain Medium Density Fibre Board (MDF) having thickness of 6mm and above". MDF is also known as Plain MDF Board, or Custom-wood, or Craft-wood in market parlance. Plain Medium Density Fibre board, or Plain MDF Board is a composite wood product made out of wood waste fibres glued together with urea formaldehyde resin or melamine resin under heat and pressure. It is widely used for partitions, modular furniture, cabinets etc. due to its smooth and uniform finish. The product is produced in two types, i.e. plain and laminated. MDF board is processed further, such as painted, laminated by veneer etc. to obtain laminated MDF Board. Product scope of the present petition does not include laminated MDF Board.

5. Plain Medium Density Fibre Board is normally produced and sold in standard sizes, and is used by cutting as per size and design requirement of the user. The standard thickness in which it is produced and sold are 1.2mm to 25mm and standard size is 8X4. The thickness can be modified to suit customer requirements. The product under consideration is of thickness of above 6mm only. In industry parlance, the boards are divided into "thick" and "thin". The product under consideration is described as "thick" MDF."

5. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation. The product under consideration is classified under Chapter 44 of the Customs Tariff Act, 1975 under the heading 4411. The product under consideration is covered under ITC HS Codes 44111300 and 44111400 at 8-digit level. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

C. **<u>Like Article</u>**

6. The Applicants have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicants in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

D. **<u>Domestic Industry</u>**

7. The application has been filed by M/s Greenply Industries Limited/ M/s Greenpanel Industries Limited and Rushil Decor Limited. The Applicants have claimed that they neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. Considering the information on record, Applicants account for "a major proportion" of the Indian production. The Authority has, therefore, considered the Applicants as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

E. **<u>Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping</u>**

Normal value

8. The Applicants have claimed normal value in Vietnam and Indonesia on the basis of prices prevailing in respective countries, based on prices reported in a Market Research Report.

Export price

9. The export price for subject goods for the subject countries is based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. In case Vietnam adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges. As regards Indonesia, there are no imports of the product in the POI.

Dumping margin

10. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Act. It is noted that dumping margin of Vietnam is not only above de minimis level, but also significant. It is seen that whereas the product exported from Vietnam is at a price below normal value during the POI, resulting in continued dumping. In case of Indonesia, there is no current import.

<u>Likelihood of Continuation or Recurrence of Injury and Causal Link</u>

11. The domestic industry has claimed that its performance has deteriorated in terms of capacity utilization, price depression and suppression, price undercutting, profit before tax, cash profit and return on capital employed during relevant period due to dumped imports from Vietnam. The Applicants have further provided information with regard to the surplus capacities, inventories, export orientation, capacity expansions, and volume of dumped and injurious exports from Indonesia to rest of the world. There is prima facie evidence of likelihood of continuation of dumping from Vietnam only and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of duty, to justify initiation of the present review investigation.

F. **<u>Initiation of Sunset Review Investigation</u>**

12. Therefore, on the basis of the duly substantiated application , and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation/

recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

G. **Subject Country**

13. The subject country in the present sunset review investigation is Vietnam.

H. **Period of Investigation**

14. The period of investigation for the present investigation is 1st July 2019 – 31st December 2020 (18 months). The reason for adopting period of investigation of 18 months is appropriate since it is recent enough (i.e., not more than 6 months old) and includes period prior to and subsequent to countrywide lockdown imposed on account of COVID-19 pandemic. The injury period under investigation will, however, cover the periods 1st April, 2016 - 31st March 2017, 1st April, 2017 - 31st March 2018, 1st April, 2018 – 30th June , 2019 and the period of investigation.

I. **Procedure**

15. The review will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 14/23/2014-DGAD dated 5th May,2016 recommending imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.

16. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

J. **Submission of Information**

17. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd14-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

18. The known producers/exporters in the subject countries, Government of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

21. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

K. **Time-Limit**

22. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in jd13-dgtr@gov.in and dd14-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limit.

L. **Submission of Information on Confidential Basis**

24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

25. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

26. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

27. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

31. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. **Sharing of responses/ submissions amongst interested parties.**

32. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

N. **Non-Cooperation**

33. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2021.06.07 20:20:23 +05'30'